राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/ 1873-K दिनांकः 23/12/2021

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
रामबाग सर्किल, टोंक रोड,
जयपुर।

विषयः राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की मध्यस्थता से माह दिसम्बर, 2021 की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बन्द करने हेतु।

सन्दर्भः– वित्त(पेंशन) विभाग राजस्थान सरकार क्रमांक प. 10(11) वित्त/राजस्व/ 2015 लूज दिनांक 16.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभी तक संबंधित बैंक यथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,पंजाब नेशनल बैंक,बैंक ऑफ बडौदा,यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से पेंशनर को राशि का भुगतान किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता था। अब राज्य सरकार के निर्णयानुसार पेशन वितरण का कार्य बैंको की मध्यस्थता समाप्त करते हुए पे–मैनेजर से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा संदर्भित आदेश (प्रति संलग्न) के अंतर्गत लिये गये उक्त निर्णय की कियान्विति हेतु इस विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको को जरिये पत्र कमांक 1661–1669–K दिनांक 16–12–2021 (प्रति संलग्न) को सूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस विभाग के पत्र कमांक 1403–1411–K दिनांक 03.12.2021 एवं पत्र क्रमांक 1781–1789–K दिनांक 17–12–2021,पत्र क्रमांक 1825–1834– K दिनांक 21.12.2021, पत्र क्रमांक 1846–1854–K दिनांक 22.12.2021 एवं पत्र क्रमांक 1872–K दिनांक 23.12.2021 (प्रतियां संलग्न) द्वारा बैंको से पेंशनर्स सम्बन्धी विभिन्न सूचनाऐं मांगी गई है।

OSD/Sir/258

अब पेंशन विभाग के स्तर से रिजर्व बैंक के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से पेंशन वितरण किया जाना है उक्त कार्य अत्यन्त वृहत्त है। अतः आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त समस्त बैंको को इस विभाग द्वारा वांछित सूचनाऐं अतिशीघ्र उपलब्ध कराने एवं इस नवीन प्रकिया में सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करावें।

पेंशनर्स को पेंशन भुगतान के संव्यवहार में बैंकों के आंकडों का कोषालयों के आंकड़ों से मिलान में भी बैंकों का निरन्तर सहयोग आवश्यक है। इसके लिए भी संबंधित बैंको को निर्देशित कराने का श्रम करें। यदि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा कोई अधिक भुगतान पेंशनर्स को सहवन से कर दिया जाए तो उसकी वसूली में बैंकों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित रहेगा।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर से उक्त कार्य मे सहयोग करने हेतु संबंधित बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/259

राजस्थान सरकार
वित्त (पेंशन) विभाग

क्रमांक प.10(11)वित्त/राजस्व/2015लूज   जयपुर, दिनांक: 16 DEC 2021

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर से पेंशन वितरण के संबंध में।

संदर्भः– आपकी एकल पत्रावली संख्या निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/डीपीडी /पीएस/2021/30 दिनांक 06.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित एकल पत्रावली मूल ही वापिस लौटाते हुए निर्देशानुसार निवेदन है कि दिनांक 14.12.2021 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त के कक्ष में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो 01.01.2022 को भुगतान की जायेगी, को बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से वितरित किया जावे।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के Appendix VI में Scheme for Payment of Pension of Rajasthan Government Civil Pensioners by Public Sector Banks के अनुसार वर्तमान में पेंशन वितरण का कार्य बैंको के द्वारा किया जा रहा है। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 166 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत Appendix VI में शिथिलन प्रदान करते हुए माह दिसम्बर, 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जायेगी, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से वितरित किये जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सभी बैंको द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक इसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर ली जाती है, अतः उपरोक्त निर्णय की पालना में पेंशन विभाग के माध्यम से सभी बैंको को यह सूचित किया जाना आवश्यक है कि माह दिसम्बर,

P.T.O.

Urgent PI
OSD / PI ...
16/12/2021

SD
16/12/21

2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंको के द्वारा नहीं किया जाये क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जायेगा। अतः सभी बैंको को उपरोक्तानुसार सूचित करते हुए सुनिश्चित करे कि बैंको द्वारा दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं किया जावे।

उक्त स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग के द्वारा बारकोड आईडी संख्या 592100155 दिनांक 16.12.2021 द्वारा प्रदत्त शिथिलन के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव.

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, बजट वित्त विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उक्तानुसार पेंशन वितरण हेतु रिर्जव बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 01.01.2022 की पेंशन का बैंको को पुनर्भरण नहीं कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया पे–मैनेजर के माध्यम से दिनांक 01.01.2022 की पेंशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित कराये।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005

ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687

वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 1403-1401-K दिनांकः– 03-12-2021

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेंशनल बैंक, बैंक ऑफ बडौदा,
यूको बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इलाहाबाद बैंक),
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया,
जयपुर।

विषयः– पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के लीगेसी डाटा की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत्।

संदर्भः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 / 1032–1039–के. दिनांक 01.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा लिखा गया था कि राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन भुगतान का कार्य बैंको से वापिस लिया जाना विचाराधीन है। पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स का कार्य राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर आरबीआई के ई–कुबेर सॉफ्टवेयर से करने की स्थिति में पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के डेटा की सॉफ्टकॉपी दिनांक 12.11.2021 तक तैयार कर रखने हेतु कहा गया था।

कृपया उक्त सूचना संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 08.12.2021 तक तैयार कर तक इस कार्यालय को सूचित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राज. जयपुर को सूचनार्थ।

निदेशक

OSD/Sir/227

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईटः– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

कमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 1661-1665-K दिनांकः– 16.12.2021

प्रबन्ध निदेशक / महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त / राजस्व / 2015 / लूज दिनांक 16.12.2021 (प्रतिसंलग्न) द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो की पालना में सभी बैंको को सूचित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैकों द्वारा स्वंय के स्तर से नहीं किया जावें, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा।

इस संबंध में कोषाधिकारियो को बैंक द्वारा प्रेषित ऑनलाईन स्क्रोल से निम्न प्रकार की पेंशन का भुगतान किसी बैंक शाखा द्वारा स्वंय के स्तर से दिनांक 01.01.2022 से नहीं करने के संबंध में कृपया अपने स्तर से संबंधित को पाबंद करावें।

क्र.सं.	पेंशन का प्रकार	बजट मद
1	Civil Pension	2071-01-101-01-00
2	Family Pension	2071-01-105-01-01
3	Panchayat Samiti Civil	2071-01-110-01-00
4	Panchayat Samiti Family	2071-01-110-01-00
5	Muncipal Civil	8011-00-106-02-00
6	Muncipal Family	8011-00-106-02-00
7	Khadi Civil	2071-01-110-03-00
8	Khadi Family	2071-01-110-03-00
9	AIS Civil	8658-00-101-09-01
10	AIS Family	8658-00-101-09-01
11	NPS Family	2071-01-200-01-00
12	Judge Civil	2071-01-101-01-00
13	Judge Family	2071-01-105-01-01
14	AIS-NPS-Family	8658-00-101-09-03
15	High Court Magistrate	2071-01-106-01-01

OSD/Sir/245

कृपया यह भी सुनिश्चित करे की पेंशन वितरण हेतु कोषाधिकारियो द्वारा पेंशन पत्रावलियां प्रेषित की हुई है किन्तु बैंको द्वारा उनका भुगतान प्रारम्भ नही किया गया है एवं प्रोसेस हेतु ऐसे प्रकरण अभी पाईपलाईन है, उनका भुगतान भी तुरन्त प्रभाव से रोका जाये एवं ऐसी पत्रावलियां संबंधित कोषाधिकारी को तुरन्त लौटायी जायें।

अतः आप दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जाने वाली पेंशन का भुगतान नहीं करें। दिनांक 01.01.2022 को या इसके पश्चात् बैंको द्वारा किए गये पेंशन भुगतान का पुनर्भरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(signature) 16|12|2021

(संजय सोलंकी)

निदेशक

दिनांकः—

कमांकः— निपेवि / पीसी / ई—कुबेर / 2020—21 1670-1711-K 16.12.2021

प्रतिलिपिः—

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, टोंक रोड जयपुर—302004
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (पेंशन) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.10 (11)वित्त / राजस्व / 2015 / लूज दिनांक 16.12.2021 के क्रम में।
3. संयुक्त सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) सचिवालय जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, वित्त (नियम), विभाग सचिवालय जयपुर।
5. निदेशक वित्त (बजट) विभाग सचिवालय जयपुर।
6. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग राज. जयपुर।
7. समस्त कोषाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आप सभी बैंक शाखाओ को इस संबंध में निर्देशित करावें एवं आगे से कोई पत्रावली बैंको को नहीं भेजी जाए।
8. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर,उदयपुर, बीकानेर,कोटा,भरतपुर।

(signature)

निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईट:– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक:– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 1781-1789-K 17.12.21 दिनांक:–

प्रबन्ध निदेशक / महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषय:– राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने के संबंध में जारी आदेश की निरन्तरता में आवश्यक सूचना 21.12.2021 तक प्रेषित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त / राजस्व / 2015 / लूज दिनांक 16.12.2021 ([redacted]) द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो की पालना में आपको पहले ही सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा स्वंय के स्तर से नहीं किया जावें, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा। इसकी निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि के वितरण के लिए निम्नाकिंत प्रारुप में पेंशनर्स की सूचना 21.12.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रुप से ई–मेल एड्रेस PRADEEPMATHUR.FIN@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करावें:–

Name of pensioner	Name of original pensioner	Pensioner Email ID	Date of Birth of pensioner	Aadhar no.	Pan no.	Date of retirement /death	PPO/FPPO No.	Mobile No.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sil/254

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005

ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687

वेबसाईट:– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि/पीसी/ई–कुबेर/2020–21/1825-1834-K दिनांकः– 21/12/2021

प्रबन्ध निदेशक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेंशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूकों बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषयः– राज्य सरकार के पेंशनर्स के डाटा कोष कार्यालयो से मिलान कर Mismatch का समाधान करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विभाग के पत्र क्रमांक 1101–1135–K दिनांक 02.11.2021 द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स के डाटा Mismatch का मिलान दिनांक 12.11.2021 तक पूर्ण करने हेतु भिजवाया गया था, इस विभाग के पत्रांक 1452–59–K दिनांक 03.12.2021 द्वारा स्मरण पत्र जारी कर उक्त कार्य दिनांक 08.12.2021 तक पूर्ण करने का अनुरोध किया गया था। विभाग के पत्रांक 1542–1549–K दिनांक 14.12.2021 द्वारा उक्त कार्य दिनांक 17.12.2021 तक पूर्ण कर निस्तारण की सूचना ई–मेल द्वारा भिजवाने का अनुरोध किया गया था। परन्तु उक्त कार्य अभी तक भी पूर्ण करने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कोषाधिकारियो द्वारा लगातार प्रयास करने बावजूद आपकी बैंक शाखाओं एवं सीपीपीसी शाखा द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे Mismatch का निराकरण कर पेंशनर्स का डाटा शुद्वीकरण नहीं हो पा रहा है तथा पेंशनर्स को अधिक भुगतान की वसूली किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः कृपया आप अपनी ओर से सीपीपीसी बैंक अधिकारियो एवं संबंधित बैंक शाखाओ को आवश्यक निर्देश जारी करावें ताकि उक्त डाटा Mismatch का निराकण किया जा सके।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

DSD/Sr/256

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Directorate of Pension & Pensioners Welfare
Vidyut Marg, Jyoti Nagar, Jaipur (Rajasthan) 302005
E-mail– dir-pen-rj@nic.in Telephone No. 0141–2740538, 2741687
Website :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

No. Dir.Pen/PC/E-Kuber/2020-21 dated: 1846-54-K / 22-12-21

To:

The Managing Director/General Manager,
State Bank of India, Punjab National Bank,
Bank of Baroda, UCO Bank, Indian Bank
Union Bank of India, Central Bank of India,
Bank of India, Bank of Maharashtra,
Jaipur

Sub: Regarding furnishing information desired vide our letter dated 17.12.2021.

Sir,

The Government of Rajasthan has decided to disburse pension at its own level from 01.01.2022 and required information related to Government pensioners was sought from yourself vide aforesaid letter (Copy enclosed). But no information has been received till now.

As you are aware that this is a sensitive and most urgent task, therefore, it is once again requested that the information desired vide aforementioned letter be submitted immediately on e-mail: PRADEEPMATHUR.FIN@rajasthan.gov.in.

Thanking you,

Yours sincerely,

(Sanjay Solanki)

AC

Encl: As above.

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान)302005
ईमेल–dir-pen-rj@nic.in, दूरभाष न. 0141–2740538,2741687
वेबसाईट:– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांकः– निपेवि / पीसी / ई–कुबेर / 2020–21 / 1872-K   दिनांकः–23/12/2021

प्रबन्ध निदेशक / महा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेंशनल बैंक,
बैंक ऑफ बडौदा, यूको बैंक, इंडियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको से माह दिसम्बर की पेंशन (जो 01.01.2022 से देय होती है) का भुगतान बैंक द्वारा दिनांक 01.01.2022 से बंद करने के संबंध में जारी आदेश निरन्तरता में आवश्यक सूचना आज ही दिनांक 23.12.2021 को प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.12.21 एवं 22.12.21

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक प. 10(11)वित्त / राजस्व / 2015 / लूज दिनांक 16.12.2021 द्वारा निर्देशित किया है कि माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन जो दिनांक 01.01.2022 को वितरित की जावेगी, को सार्वजनिक क्षेत्रो के बैंको के स्थान पर पे–मैनेजर के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ही वितरित किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देशो की पालना में आपको पहले ही सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार के पेंशनर्स को माह दिसम्बर 2021 की देय पेंशन का भुगतान बैंकों द्वारा स्वंय के स्तर से नहीं किया जावें, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त भुगतान पे–मैनेजर के माध्यम से किया जावेगा। इसकी निरन्तरता में इस विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा पेंशन राशि के वितरण के लिए निम्नांकित प्रारूप में पेंशनर्स की सूचना 21.12.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई–मेल एड्रेस PRADEEPMATHUR.FIN@rajasthan.gov.in पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु सूचना आज दिनांक तक निर्धारित प्रपत्र में अप्राप्त है। अतः निम्नलिखित प्रारूप में सूचना आज ही दिनांक 23.12.2021 को एक्सल–शीट में आवश्यक रूप से उपरोक्त ई–मेल आईडी पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

Name of pensioner	Name of original pensioner	Pensioner Email ID	Date of Birth of pensioner	Aadhar no.	Pan no.	Date of retirement/ death	PPO/FPPO No.	Mobile No.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pensionerbank Account Number	Bank IFSC Code	Life Certificate Status(Yes/No)
10	11	12

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

OSD/Sir/250